

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत**  
**पत्रांक-2425 /15-1, पीलीभीत, दिनांक 29/02/2020**

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत राईगर रिजर्व, पीलीभीत।

विषय :-

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी०ए० के चैनेज 5.924 से 5.959 चौथी पट्टी पर ग्राम- ईटगांव, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या- 821 में रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संबंधित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others30687/2017)

सन्दर्भ :-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक- 2450/11-सी FP/UP/Others/30687/2017, दिनांक- 25.06.2019।

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त हुआ है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्रांक 2501/11सी दिनांक- 24.11.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियां इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रतियां उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।

Observe No.	Conditions	Status of Compliance
1	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैंड शैड्यूल एवं बारचार्ट संलग्न है, किन्तु Non Forest Area Calculation नहीं किया गया है। अतः Non Forest Area Calculation कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैंड शैड्यूल एवं Non Forest Area Calculation कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग-1 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-1 Non Forest Area की के०एम०एल० फाइल अपलोड कर दी गयी है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु व्ययित स्थल की सत्यापित टोपोशीट संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 में प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है। अतः सत्यापित टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु व्ययित स्थल की सत्यापित टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दी गयी है।
5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
6	प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन०पी०वी० की वनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि के एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन०पी०वी० की वनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
7	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (सी०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार	भूमि स्वामित्व वाले विभाग (सी०नि०वि०) द्वारा ले आउट प्लान का सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार

	प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
8	भारत सरकार के पत्रांक - 11-268/2014-एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	भारत सरकार के पत्रांक - 11-268/2014-एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित कर ऑनलाइन अपलोड कर संलग्न है।
9	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः बड़ी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड करें।	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग - 2 में अपलोड कर दिया गया है।
10	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है किन्तु मार्ग चिह्नित नहीं है। अतः गजट नोटिफिकेशन चिह्नित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	गजट नोटिफिकेशन में मार्ग चिह्नित कर संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
11	वन विभाग, उ0प्र0 शासन सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग, उ0प्र0 शासन सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
12	मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय निदेशक प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न है किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं संलग्न किया गया है। अतः निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
13	ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक -13 (i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अंकित नहीं की गयी है।	ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक -13 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अंकित कर दी गयी है।
14	ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक -13 (ii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक -13 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
15	ऑनलाइन भाग-2 में 13 (iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo Referenced Digital Map Upload नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 में 13 (iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo Referenced Digital Map Upload कर दिया गया है।
16	सी0डी0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कोऑरिनेट्स फाइल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload नहीं है।	सी0डी0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कोऑरिनेट्स फाइल Geo Referenced Digital Map & Toposeet Upload कर संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
  
 (संजीव कुमार)  
 प्रभागीय निदेशक,  
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

पत्रांक- /15-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल) इम्प्लियन ऑयल कारपोरेशन लि0, 35ए कमला नेहरू मार्ग बरेली को सूधनार्थ प्रेषित।

(संजीव कुमार)  
 प्रभागीय निदेशक,  
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत